

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- 1457 / xxxi(15)G/26-74(सा0)/2016
देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या- 1800 / xxxi(15)G/25-74(सा0)/2016, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के द्वारा वर्ष 2026 हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किये गये हैं। उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (सोमवार) को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में सम्यकविचारोपरान्त निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (सोमवार) को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त तिथि को बैंको/कोषागारों/उप कोषागारों में भी अवकाश रहेगा।

अतः अधिसूचना संख्या- 1800 / xxxi(15)G/25-74(सा0)/2016, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।


(राजेन्द्र कुमार)
सचिव

संख्या- 1457 / xxxi(15)G/26-74(सा0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय एवं अन्य मा0 न्यायालयों के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त/गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।


(राजेन्द्र कुमार)
सचिव